रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937
No. 429] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ASHADHA 15, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सा.का. नि. 536(अ).— केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि ऐसे लोकसेवक जिन्होंने ऐसे लोकसेवकों को लागू नियमों के उपबंधों के अधीन संपत्ति की घोषणा, सूचना और वार्षिक रिटर्न फाइल की है, यथास्थिति पुनरीक्षित घोषणा, सूचना या वार्षिक रिटर्न 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को 15 अक्तूबर, 2015 को या उससे पूर्व फाइल करेंगे ।"

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख)]

जिशनु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 638(अ) तारीख 8 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 918(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2014 और सा.का.नि. 322(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2015 संशोधित किए गए।

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.